



2026:AHC:17229

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी संख्या - 44588 वर्ष 2025

पंचम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता : विकल्प कुमार राय

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 02

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करने तथा इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से आहत होता है, तो उसे इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी, तहसील-लालगंज, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या आरएसटी/04007/2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202415060404007), धारा 24 उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत, निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय करे।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे प्रकार के आवेदन समयबद्ध अवधि में निस्तारित किए जाने चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है—
“इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, यथासंभव, आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर उप-जिलाधिकारी द्वारा पूर्ण कर ली जाएगी।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5.आगे यह भी तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, किन्तु अब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6.प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या-2 को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का निर्णय, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई विधिक बाधा न हो, तो करे।

दिनांक: 22 जनवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

जनवरी 22, 2026

प्रमोद त्रिपाठी